न्यायालय परगनाधिकारी बीसलपुर (पीलीभीत)
वाद संख्या कम्प्यूटरीकृत T2014125602295 धारा 143 ज0वि0सु0 अधि0
ग्राम कासिमपुर रत्नेश कुमार गंगवार बनाम गांवसभा

न्यायालय परगनाधिकारी, बीसलपुर(पीलीभीत)

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T20141256022951 / 13.14 अंतर्गत धारा 143जैड0ए0एल0आर0एक्ट

ग्राम कासिमपुर।
पर0 व तह0 बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

रत्नेश कुमार आदि बनाम गांवसभा।

:निर्णयः

उपरोक्त वाद रत्नेश कुमार गंगवार पुत्र तौलेराम निवासी ग्राम दुर्गाप्रसाद, परगना व तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत बहैसियत सचिव, तारावती तौलेराम एजूकेशनल ट्रस्ट बीसलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.3.14 पर उपलब्ध कराई गयी क्षेत्रीय लेखपाल /राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 24.3.14 एवं तहसीलदार बीसलपुर के अग्रसारण दिनांक 28.3.14 के आधार पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत आख्या में लेखपाल / राजस्व निरीक्षक ने कहा है कि भूमि खाता संख्या 102 रक्बा 1.304हे. गाटा संख्या 250 रक्बा 0.628हे0व गाटा संख्या 252 रक्बा 0.676हे0 लगान 60 ख के अनुसार स्थित ग्राम कासिमपुर , राजस्व अभिलेखों में तारावती तौलेराम एजूकेशनल ट्रस्ट बीसलपुर द्वारा सचिव रत्नेश कुमार गंगवार पुत्र तौलेराम गंगवार निवासी ग्राम दुर्गाप्रसाद बीसलपुर के नाम अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है मौके पर भूमि महाविघालय निर्माण हेतु खाली पडी है । भूमि खाता संख्या 102 रक्बा 1.304हे. गाटा संख्या 250 रक्बा 0.628हे0व गाटा संख्या 252 रक्बा 0.676हे0 लगान 60 ख के अनुसार स्थित ग्राम कासिमपुर को धारा 143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट के अंतर्गत अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्राप्त हुई है जिसे तहसीलदार, बीसलपुर ने दिनांक 28.3.14 को अग्रसारित किया है एवं उसके उपरांत क्षेत्रीय नायब तहसीलदार, से पुनः जांच कराई गयी ।नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 25.4.14 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खाली है नहा विघालय निर्माण हेतु ईटें डाली गयी है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की है ।

मैने पत्रावली का भली भांति अध्ययन एवं अबलोकन किया।खाता संख्या 102 रक्बा 1.304हे. गाटा संख्या 250 रक्बा 0.628हे0व गाटा संख्या 252 रक्बा 0.676हे0 लगान 60 ख के अनुसार स्थित ग्राम कासिमपुर पर वर्तमान में में कृषि बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है मौके पर आबादी कार्य हो रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध सी0एच041 एवं 45 से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में कभी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि नही रही। भूमि अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:आदेश:

अतः आदेश हुआ कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 102 रक्बा 1.304हे.गाटा संख्या 250 रक्बा 0.628 हे0 व गाटा संख्या 252 रक्बा 0.676हे0 लगान 60 ख के अनुसार स्थित ग्राम कासिमपुर परगना व तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत को शैक्षणिक कार्य हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है तथा लगान 60 ख के अनुसार माफ किया जाता है। इस आदेश की प्रति तहसीलदार,बीसलपुर एवं उप निबंधक बीसलपुर को आवश्यक कार्यवाही / अनुपालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

08.05.14
(संजय कुमार)
परगनाधिकारी,
बीसलपुर।

दिनांक 08 मई 2014

उच्च कोर्ट फीस 7.00
24/5/2014
13/5/2014
19/5/2014
19/5/2014
19/5/2014
4-7-00
305 ...

Khedalal
19.5.14